वित्त मंत्री
भारत
नई दिल्ली - 110001
FINANCE MINISTER
INDIA
NEW DELHI - 110001

प्रस्तावना

शासन में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयास को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2010-11 के बजट में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाली एक विवरणिका संग्रहित की गई है।

मुझे, इस विवरणिका को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

प्रणब मुखर्जी

(प्रणब मुखर्जी)

विषय सूची

क्रम सं	पैरा सं. (2010-11 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
1.	24	घरेलू सरकारी ऋण-स0घ0उ0 अनुपात संबंधी प्रास्थिति-पत्र	1
2.	25	कर सुधार- प्रत्यक्ष कर-संहिता का कार्यान्वयन	1
3.	26	वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना	1
4.	28	केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विनिवेश के माध्यम से ₹ 25,000 करोड़ जुटाना	1
5.	31	उर्वरक सेक्टर के लिए पोषण आधारित सब्सिडी नीति	2
6.	32	पेट्रोलियम और डीजल मूल्यनिर्धारण नीति	2
7.	36	एफडीआई नीति के विनियमों और दिशा-निर्देशों का समेकन	3
8.	37	वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद की स्थापना	3
9.	38	निजी क्षेत्र के भागीदारों को अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस	3
10.	39	पब्लिक सेक्टर बैंकों का पूंजीकरण	4
11.	40	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण	4
12.	42	2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता का विस्तार	4
13.	45	भारत के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति का विस्तार	5
14.	46	दहलन और तिलहन ग्रामों का गठन	5
15.	47	जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का प्रारंभ	5
16.	48	भण्डारण और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में बर्बादी को कम करना	5
17.	49	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों को किराए पर लेने की अवधि बढ़ाना	6
18.	50	कृषि ऋण उपलब्धता का लक्ष्य बढ़ाना	6
19.	51	किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना	6
20.	52	फसल ऋणों की समय पर अदायगी हेतु ब्याज आर्थिक सहायता में वृद्धि	7
21.	53	अधिक मेगा फूड पार्क परियोजनाओं की स्थापना	7
22.	54	ईसीबी नीति के तहत अवसंरचना की परिभाषा में परिवर्तन करना	7
23.	56	सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार	7
24.	59	भारत आधारभूत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड	8
25.	61	कैप्टिव माईनिंग हेतु कोयला ब्लॉकों का आबंटन करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया प्रारंभ करना	8
26.	62	कोयला विनियामक प्राधिकरण की स्थापना	8
27.	64	लद्दाख में सौर, लघु जल एवं माइक्रो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	9
28.	67	तिरूपुर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली की स्थापना	9
29.	68	गोवा के लिए विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज	9
30.	70	पश्चिम बंगाल में भागीरथी और गंगा, पद्मा नदियों के तटबंध संरक्षण निर्माण की योजनाएं।	9
31.	71	सागरद्वीप में वैकल्पिक पत्तन परियोजना का विकास	10
32.	72	प्रारूप खाद्य सुरक्षा विधेयक	10
33.	74	वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण	10

क्रम सं	पैरा सं. (2009-10 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
34.	76	2000 से अधिक की आबादी की बस्तियों को बैंकिंग सुविधाएं	11
35.	77	वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि	11
36.	83	आवास ऋणों पर ब्याज आर्थिक सहायता योजना का विस्तार	11
37.	84	राजीव आवास योजना के लिए आबंटन में वृद्धि	11
38.	85	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु आबंटन में वृद्धि	12
39.	87	सूक्ष्म वित्तपोषण विकास और इक्विटी निधि में वृद्धि	12
40.	88	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना	12
41.	89	नरेगा लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ प्रदान करना	13
42.	90	स्वावलम्बन योजना का विस्तार	13
43.	92	दक्षता विकास	14
44.	93	कपड़ा क्षेत्र हेतु दक्षता विकास योजना का विस्तार	14
45.	94	महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन	14
46.	96	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	14
47.	97	अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन	15
48.	98	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तथा जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना	15
49.	99	अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए उधार देना	15
50.	101	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की स्थापना	16
51.	102	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन	16
52.	103	भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण	16
53.	104	अनन्य परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह की स्थापना	17
54.	105	स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना	17
55.	106	भारतीय रुपए के लिए प्रतीक को औपचारिक रूप देना	17
56.	109	जम्मू व कश्मीर से 2000 युवकों को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में कांस्टेबल भर्ती करना	17
57.	110	वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों हेतु एकीकृत कार्य-योजना	18
58.	111	राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधिक सुधार मिशन	18
59.	119	प्रत्यक्ष करों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना	18
60.	120	आयकर विभाग द्वारा "सेवोत्तम " परियोजनाओं का विस्तार	19
61.	122	व्यष्टि वेतनभोगी करदाताओं के लिए सरल-2 प्रपत्र शुरु करना	19
62.	123	कर समझौता आयोगों के क्षेत्राधिकार का विस्तार	19
63.	124	करवंचना और निवासी भारतीयों की विदेशों में रखी अप्रकटित आस्तियों का पता लगाने हेतु द्विपक्षीय वार्ता	19
64.	66	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि	20
65.	154	कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगना	20
66.	182	सेवाओं के निर्यात की परिभाषा और प्रक्रियाओं में परिवर्तन	20

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	24.	राजकोषीय समकेन प्रक्रिया के भाग के रूप में, यह पहली बार होगा कि सरकार घरेलू सरकारी ऋण-स.घ.उ. अनुपात में एक सुस्पष्ट कटौती का लक्ष्य तय करेगी। मेरा छह माह के भीतर एक प्रास्थिति पत्र लाने का इरादा है। इसमें स्थिति का विस्तृत विश्लेषण और समग्र सरकारी ऋण को कम करने का खाका दिया जाएगा। इसके बाद, इस विषय पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। (नोडल विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	सरकारी ऋण के संबंध में एक विस्तृत दस्तावेज 3 नवम्बर, 2010 को जारी किया जा चुका है। ***कार्रवाई पूर्ण***
2.	25.	**कर सुधार** मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि एक सरल कर प्रणाली बनाने की प्रक्रिया अब पूरी होने को है। इस प्रणाली में अपवाद न्यूनतम होंगे और स्वैच्छिक कर अनुपालन संवर्धित करने के उद्देश्य से निम्न दरें होंगी। प्रत्यक्ष कर संहिता के संबंध में हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि सरकार 1 अप्रैल, 2011 से प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करने की स्थिति में होगी। (नोडल विभाग : राजस्व विभाग)	"प्रत्यक्ष कर संहिता, 2010" विधेयक 30.8.2010 को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इसे 1.4.2012 से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। ***कार्रवाई पूर्ण***
3.	26.	वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में, हम इसकी संरचना पर एक व्यापक सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। नवम्बर, 2009 में, राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी पहला परिचर्चा पत्र आम जनता की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया। तेरहवें वित्त आयोग ने भी वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जिनसे इस बारे में चल रहे विचार-विमर्शों में सहायता मिलेगी। हम वस्तु एवं सेवा कर की संरचना तथा इसके शीघ्र कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अन्तिम रूप देने के लिए सशक्त समिति के साथ सक्रियतापूर्वक जुटे हैं। मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि अप्रैल, 2011 में प्रत्यक्ष कर संहिता के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया जाए। (नोडल विभाग : राजस्व विभाग)	वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने की केंद्र की इच्छुकता अनेक-बार व्यक्त की गई है। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए वांछित संवैधानिक संशोधन विधेयक का प्रारूप अब तैयार कर लिया गया है और इसे सशक्त समिति के पास उनके मत जानने हेतु भेजा गया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर का प्रारूप और राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर कानून का नमूना तैयार करने, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में अपनाई जानी वाली प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपयुक्त रूपरेखा बनाने हेतु, अधिकारियों के तीन उप-कार्य दल कार्यरत हैं। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के विकास हेतु, डॉ0 नंदन नीलकेनी की अध्यक्षता में एक सशक्त दल भी गठित किया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
4.	28.	उसके बाद, आइल इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी, एनटीपीसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में स्वामित्व को व्यापक आधार प्रदान किया गया है जबकि राष्ट्रीय	बजट में 2010-11 के दौरान विनिवेश से ₹40,000 करोड़ की आय होने का अनुमान लगाया गया है। सतलुज जल विद्युत निगम लि0, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड,

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		खनिज विकास निगम और सतलुज जल विद्युत निगम में यह प्रक्रिया चल रही है। सरकार मौजूदा वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस प्रक्रिया के जरिए, मेरा 2010-11 के दौरान इससे अधिक राशि जुटाने का प्रस्ताव है। इन प्राप्तियों का उपयोग नई आस्तियां सृजित करने हेतु सामाजिक क्षेत्र की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। (नोडल विभाग : विनिवेश विभाग)	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड तथा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों की प्रारंभिक/अनवुर्ती सार्वजनिक निर्गम की पेशकश (आईपीओ/एफपीओ) दिसम्बर, 2010 तक आ चुकी हैं । अब तक विनिवेश से ₹22,144 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0(सेल) और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के एफपीओ जनवरी-मार्च, 2011 की अवधि के दौरान आएंगे । वर्ष 2010-11 के लिए, इन प्राप्तियों का उपयोग नई आस्तियों के सृजन हेतु सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान किया गया है। ***प्रक्रिया जारी***
5.	31.	**उर्वरक सब्सिडी** मैंने 2009 के अपने बजट भाषण में उर्वरक सेक्टर के लिए सरकार के आशय की घोषणा की थी। सरकार द्वारा तदन्तर, उर्वरक सेक्टर के लिए एक पोषण आधारित सब्सिडी नीति मंजूर की गई है और यह 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगी। आशा है कि इस नीति से नए पुष्ट उत्पादों के जरिए संतुलित उर्वरक प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और इस नीति का फोकस उर्वरक उद्योग द्वारा विस्तार सेवाओं पर होगा। इससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और परिणामस्वरूप किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। इस नीति के लागू होने से सब्सिडी बिल में कमी होने के अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी की मांग की अस्थिरता में कमी आएगी। सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि संक्रमण वर्ष 2010-11 में पोषक आधारित उर्वरक मूल्य इस समय मौजूद अधिकतम खुदरा मूल्यों के आसपास बने रहें। इस नई प्रणाली से किसानों को सीधे सब्सिडियां देने का मार्ग प्रशस्त होगा। (नोडल विभाग : उर्वरक विभाग)	विनियंत्रित फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों हेतु पोषण आधारित सब्सिडी का प्रथम चरण 1.4.2010 से लागू किया गया है (एसएसपी के लिए 1.5.2010 से) । यह सब्सिडी उर्वरक उद्योग के माध्यम से दी जा रही है। किसानों को सीधे नकद सब्सिडी देने की संभावना पर विचार चल रहा है और इसे दूसरे चरण में कार्यान्वित किया जाएगा । ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
6.	32.	**पेट्रोलियम और डीजल मूल्य-निर्धारण नीति** पिछले बजट में, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य तथा टिकाऊ प्रणाली पर सरकार को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की घोषणा की गयी थी। श्री किरिट पारीख की अध्यक्षता में गठित समूह ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इन सिफारिशों पर निर्णय मेरे सहयोगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा यथा समय लिया जाएगा। (नोडल मंत्रालय : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	श्री किरिट पारीख की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में, तेल विपणन कंपनियों की अल्प-वसूली के मुद्दों की जांच करने और सभी संबंधित मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक सशक्त मंत्री-दल गठित किया गया था। इस दल ने 25.6.2010 को हुई अपनी बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य-निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए। इन्हें 25/26.06.2010 की मध्यरात्रि से कार्यान्वित किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
7.	36.	सरकार की मंशा एफडीआई नीति को, पहले के सभी विनियमों तथा दिशानिर्देशों को एक व्यापक दस्तावेज में समेकित करके, प्रयोक्ता अनुकूल भी बनाना है। इससे विदेशी निवेशकों के लिए हमारी एफडीआई नीति की सुस्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता बढ़ जाएगी। (नोडल विभाग : औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और विभिन्न प्रेस नोट आदि में अंतर्विष्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) से संबंधित पहले के सभी नीतिगत विषयों को एक समेकित दस्तावेज में एकीकृत करने हेतु, एक व्यापक कवायद शुरू की गई थी ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबध में वर्तमान नीतिगत प्रणाली परिलक्षित हो। समेकित एफडीआई नीतिगत दस्तावेज 31.3.2010 को जारी किया गया है। यह 1.4.2010 से प्रभावी है। इस दस्तावेज को फिर अद्यतन बनाया गया है और 30.09.2010 को जारी किया गया है। यह 1.10.2010 से प्रभावी हुआ है। ***कार्रवाई पूर्ण***
8.	37.	**वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद** वर्ष 2008-09 के वित्तीय संकट से सम्पूर्ण विश्व में बैंकिंग तथा वित्तीय बाजारों की संरचना में मूलभूत अन्तर आया। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा सांस्थानिक रूप देने की दृष्टि से, सरकार ने एक शीर्ष स्तरीय वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया है। विनियामकों की स्वायत्तता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह परिषद बड़े पैमाने पर वित्तीय एकीकरण की कार्यप्रणाली सहित अर्थव्यवस्था के वृहद् विवेकसम्मत पर्यवेक्षण को मॉनीटर करेगी और अन्तर-विनियामक समन्वय सम्बन्धी मुद्दों का समाधान करेगी। यह परिषद् वित्तीय बोधगम्यता तथा वित्तीय समावेशन पर भी अपना ध्यान केद्रित करेगी। (नोडल विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद की स्थापना वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 30.12.2010 को की गई है। इस परिषद के सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के विनियामक संगठनों के प्रमुख शामिल हैं । यह परिषद, वृहद वित्तीय संगठनों के कामकाज सहित, अर्थव्यवस्था के वृहत विवेकसम्मत पर्यवेक्षण पर नजर रखेगी और अंतर्विनियामक समन्वय से संबंधित मुद्दों का निराकरण करेगी । यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान देगी । ***कार्रवाई पूर्ण***
9.	38.	**बैंकिंग लाइसेंस** भारतीय बैंकिंग प्रणाली इस संकट से अछूती रही। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बैंकिंग प्रणाली आकार तथा सुविज्ञता में आगे बढ़े ताकि आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त, बैंकों के भौगोलिक कवरेज को विस्तार देने तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के भागीदारों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार कर रहा है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे भारतीय रिजर्व बैंक के पात्रता मानदण्डों की पूर्ति करें। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	बजट घोषणा 2010 के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने "निजी क्षेत्र में नए बैंकों का प्रवेश" के संबंध में एक परिचर्चा पत्र जारी किया था । विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त टिप्पणियों एवं सुझावों तथा अक्तूबर, 2010 में प्रमुख हितधारकों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर, आशा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जनवरी, 2011 के अंत तक प्रारूप दिशा-निर्देशों को जनता के विचार जानने हेतु उनकी पहुँच में रखेगा । ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
10.	39.	**पब्लिक सेक्टर बैंकों का पूंजीकरण** वर्ष 2008-09 के दौरान, सरकार ने चार पब्लिक सेक्टर बैंकों में पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात का वहनीय स्तर बनाए रखने के लिए, टियर-I कैपिटल के बतौर 1900 करोड़ रुपए डाले। 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अब डाली जा रही है। वर्ष 2010-11 के लिए, मैं 16,500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक 31 मार्च, 2011 तक न्यूनतम 8 प्रतिशत टियर-I कैपिटल प्राप्त कर सकें। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	सरकार ने मई, 2010 में सरकारी क्षेत्र के 4 बैंकों में ₹1500 करोड़ की पूंजी लगाई । इसके अतिरिक्त, 5 सरकारी बैंकों में ₹ 6211 करोड़ की पूंजी लगाने की मंजूरी दी गई है। इसके एक भाग के रूप में सतत असंचयी तरजीही शेयरों (परपेचुअल नॉन-क्यूमूलेटिव प्रेफेरेंस शेयर) के माध्यम में सरकारी क्षेत्र के 3 बैंकों में ₹1076 करोड़ की पूंजी डाली गई है; तरजीही इक्विटी के रूप में आईडीबीआई बैंक में ₹ 3119 करोड़ डाले गए हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में राइट्स इश्यु के जरिए ₹ 2016 करोड़ निवेश किए जाने की मंजूरी दी गई है। यह इश्यु अभी आना है। ***कार्यक्रम जारी***
11.	40.	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन बैंकों की पूंजी की साझीदारी केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इन बैंकों का अन्तिम पूंजीकरण 2006-07 में हुआ था। मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने हेतु और पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं ताकि उनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वर्धित ऋण प्रदान करने हेतु पर्याप्त पूंजी आधार हो। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	सरकार ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी से जोखिम-भारित आस्ति अनुपात(सीआरएआर) के पहलुओं की जांच करने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीआरएआर को समयबद्ध रूप से कम से कम 7 प्रतिशत और मार्च, 2012 तक 9 प्रतिशत तक लाने हेतु उपाय सुझाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर डॉ0 के0सी0 चक्रबर्ती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी तैयार की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***
12.	42.	**निर्यात** सरकार ने कतिपय क्षेत्रों में निर्यात हेतु 31 मार्च, 2010 तक लदान-पूर्व निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। मैं इस 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता को एक वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा तथा लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग, वाणिज्य विभाग)	सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक इस योजना का विस्तार रोजगार-परक क्षेत्रों यथा हस्तशिल्प; कालीन; हथकरघा; लघु और मध्यम उद्यम तथा कतिपय अतिरिक्त क्षेत्रों/उपक्षेत्रों को लदान- पूर्व और लदान-पश्च रुपया ऋण के आधार पर किया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
	44.	**कृषि विकास** कृषि क्षेत्र समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण आय को बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के हमारे संकल्प का केंद्र बिन्दु है। इस क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाने हेतु, सरकार का इरादा *चतुर्थ स्तरीय कार्ययोजना* का अनुसरण करने का है जिसमें (क) कृषि उत्पादन; (ख) उत्पाद की बर्बादी में कमी; (ग) किसानों को ऋण सहायता; और (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर जोर देना शामिल हैं।	(पैरा संख्या 45 से 50 के साथ पढ़ा जाए ।)

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
13.	45.	कार्ययोजना का *पहला घटक,* ग्राम सभाओं तथा किसान परिवारों के सक्रिय सहयोग से, हरित क्रान्ति का विस्तार देश के पूर्वी क्षेत्र में करना है जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा शामिल हैं। वर्ष 2010-11 के लिए, मैं इस पहल हेतु 400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल विभाग : कृषि एवं सहकारिता विभाग)	पूर्वी भारत में हरित क्रांति का विस्तार करने के लिए, दिसम्बर, 2010 के अंत तक ₹ 294.19 करोड़ जारी किए गए हैं । असम के लिए ₹35 करोड़, ₹6755.00 करोड़ के समग्र आबंटन में से पूरे किए जाने हैं । फील्ड स्तर पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन चल रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
14.	46.	गणतंत्र के 60वें वर्ष में, 2010-11 के दौरान वर्षापोषित क्षेत्रों में 60,000 "दलहन और तेल बीज ग्रामों" को आयोजित करने और जल संचयन, जल संभर प्रबन्धन तथा मृदा स्थिति के लिए एकीकृत तंत्र की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि शुष्क भू-कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। मैं इस प्रयोजनार्थ 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। यह प्रोत्साहन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक अभिन्न भाग होगा। (नोडल विभाग : कृषि एवं सहकारिता विभाग)	₹300 करोड़ के आबंटन में से, ₹238.5 करोड़ की राशि दिसम्बर, 2010 के अंत तक राज्यों को जारी की जा चुकी है। मशीनरी की अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मशीनों को लगाया जाता है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
15.	47.	संरक्षित कृषि जिसमें मृदा स्थिति, जल संरक्षण तथा जैव-विविधता के परिरक्षण में एक साथ ध्यान देना शामिल है, के माध्यम से हरित क्रान्ति वाले क्षेत्रों में पहले से प्राप्त लाभों को कायम रखा जाएगा। मैं इस जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु 200 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)	विभाग ने ग्यारहवीं योजना में ₹ 350 करोड़ के परिव्यय पर जलवायु अनुकुल कृषि संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति क्रमशः 6.1.2011 और 12.1.2011 को जारी कर दी है। ***कार्रवाई पूर्ण***
16.	48.	*कार्ययोजना का दूसरा घटक,* देश में भण्डारण में बड़ी मात्रा में बर्बादी को कम से कम करने तथा मौजूदा खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रचालन से सम्बद्ध है। इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हाल में कहा है "हमें *बेहतर प्रतिस्पर्द्धा की आवश्यकता है और इसलिए खुदरा व्यापार को खोलने के लिए ठोस दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत हैं।*" इससे खेत स्तरीय कीमतों, थोक मूल्य कीमतों तथा खुदरा कीमतों के बीच व्याप्त भारी अन्तर को पाटने में सहायता मिलेगी।	• *अन्य बातों के साथ-साथ,* किसानों से खरीद मूल्य और उपभोक्ताओं के लिए खुदरा कीमतों के बीच अंतर को कम करने तथा अनिवार्य वस्तु अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन और संशोधन हेतु, गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। • एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैक-एंडिड सब्सिडी स्कीम अर्थात् ग्रामीण गोदाम योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरूआत से अब तक 27.3 मिलियन टन क्षमता के 22938 गोदामों तथा ₹ 671 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति 30.11.2010 तक दी गई है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		(नोडल मंत्रालय/ विभाग : उपभोक्ता कार्य विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)	• औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने "मल्टीब्रांड थोक कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश" पर एक परिचर्चा पत्र अपनी वेबसाइट में अपलोड किया है जिसमें हितधारकों के विचार मांगे गए हैं । • खाद्यान्नों के भंडारण और लाने-ले-जाने में होने वाली क्षतियों को कम करने के लिए, भंडारण परिसरों की सुरक्षा और हिफाजत, निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण उपाय, निवारात्मक उपाय तथा हानियों की मॉनिटरिंग और परिवहन एवं भंडारण के सुरक्षा उपायों जैसे अनेक कदम भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए हैं । भारतीय खाद्य निगम तथा राज्यों के उपक्रमों के लिए गोदामों के निर्माण की योजना तैयार की गई है और गोदामों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। • मेगाफूड पार्कों की स्थापना की योजना के तहत, 10 पार्कों पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है तथा 5 और पार्कों की स्थापना की जानी है। शीत गृहों का स्तर बढ़ाने, मूल्यवर्धन तथा परिरक्षण अवसंरचना योजना के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। मंत्रालय में ₹ 210 करोड़ के ग्यारहवीं योजना के आबंटन से नई परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। ***कार्य प्रगति पर***
17.	49.	भारतीय खाद्य निगम के पास भण्डारण क्षमता की भारी कमी के कारण बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदे गए अनाज की बर्बादी होती है। भण्डारण क्षमता में यह घाटा निजी क्षेत्र की भागीदारी से मौजूदा योजना के जरिए पूरा किया जाता है जहां भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट पार्टियों से 5 वर्ष की गारंटी अवधि हेतु गोदाम किराए पर लेता रहा है। इस अवधि को अब बढ़ाकर 7 वर्ष किया जा रहा है। (नोडल विभाग : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)	निजी उद्यमियों के माध्यम से, भारतीय खाद्य निगम हेतु भंडारण क्षमता के सृजन की योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। नई भंडारण सुविधाओं के सृजन हेतु 5 वर्ष की गारंटी अवधि को अब बढ़ा कर 7 वर्ष कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
18.	50.	कार्ययोजना का *तीसरा घटक* किसानों की ऋण उपलब्धता में सुधार करने से सम्बद्ध है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि बैंक पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को लगातार पूरा करते रहे हैं। वर्ष 2010-11 हेतु, यह लक्ष्य मौजूदा वर्ष में 3,25,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,75,000 करोड़ रुपए किया गया है। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	इस संबंध में नाबार्ड को 16.4.2010 को अनुदेश जारी किए गए हैं । लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है। 2010-11 के दौरान 31.10.2010 तक वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि को कुल ऋण प्रवाह ₹2,28,884 करोड़ है। यह ₹3,75,000 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य का 60.50 प्रतिशत है। प्रगति पर नजर रखी जा रही है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
19.	51.	*किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना* सं.प्र.ग. सरकार की एक मुख्य पहल थी। देश के कुछ राज्यों में हाल के सूखे और कुछ अन्य भागों में	भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 26.3.2010 को अनुदेश जारी किए गए हैं जिसकी प्रति सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को भेजी गई है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		आयी भयंकर बाढ़ को देखते हुए, मैं किसानों द्वारा लिए गए ऋण की वापसी अदायगी अवधि को 31 दिसम्बर, 2009 से 30 जून, 2010 तक छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	***कार्रवाई पूर्ण***
20.	52.	पिछले बजट में, मैंने अल्पावधि फसल ऋणों की समय अनुसूची के अनुसार अदायगी करने वाले किसानों हेतु प्रोत्साहन स्वरूप 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज आर्थिक सहायता मुहैया करायी थी। मैं 2010-11 में इस आर्थिक सहायता को फसल ऋणों की समय पर अदायगी करने वाले किसानों हेतु 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार, ऐसे किसानों हेतु ब्याज की प्रभावी दर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत होगी। बजट में इस विषय में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा 30.7.2010 को मंजूरी दी गई है भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को 19.8.2010 को अनुदेश जारी किए गए हैं । ***कार्रवाई पूर्ण***
21.	53.	कार्ययोजना के *चौथे घटक* का उद्देश्य अत्याधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करना है। पहले से स्थापित दस मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के अतिरिक्त, सरकार ने ऐसे पांच और पार्कों की स्थापना का निर्णय लिया है। (नोडल विभाग : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 18.11.2010 को आयोजित अपनी बैठक में 5 नए मेगाफूड पार्क परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के अनुसरण में, संभावित उद्यमियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की सूचना जारी की गई है जिसमें उनसे 10.2.2011 तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है। ***कार्य प्रगति पर***
22.	54.	बाजार योजना के लिए कृषि के भाग के रूप में, विदेशी वाणिज्यिक उधार अब से कोल्ड स्टोरेज अथवा कोल्ड रूम सुविधा हेतु उपलब्ध होंगे जिनमें कृषि एवं सम्बद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु फार्म लेवल प्री-कूलिंग शामिल होगा। ईसीबी नीति के अन्तर्गत आधारभूत संरचना की परिभाषा में परिवर्तन किए जा रहे हैं। (नोडल विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति के तहत अवसंरचना की परिभाषा में परिवर्तन करने वाला परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2.3.2010 को जारी किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
23.	56.	सड़क क्षेत्र में स्पष्ट सुधार दिखाई दे, इस हेतु सरकार ने प्रतिदिन 20 कि.मी. की गति से राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु, नीतिगत ढांचे में, विशेष रूप से	वर्ष 2010-11 के दौरान 2500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के लक्ष्य की तुलना में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1156 किलोमीटर (दिसम्बर, 2010 तक) अर्थात् 4.28 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से निर्माण कार्य पूरा किया है। 20 किलोमीटर

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के सम्बन्ध में, परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 2010-11 हेतु, मैं सड़क परिवहन हेतु इस आबंटन को 17,520 करोड़ रुपए से 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 19,894 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल विभाग : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)	प्रतिदिन के औसत लक्ष्य अर्थात् लगभग 7,000 किलोमीटर प्रति वर्ष के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक है कि किसी भी समय इस लम्बाई का लगभग तिगुना अर्थात् लगभग 20,000 किलोमीटर अवार्ड किया हुआ तथा निर्माणाधीन होना चाहिए । इसे हासिल करने के लिए, वर्क प्लान-I और II तैयार की गई हैं जिसमें लगभग 24,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का काम करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, नवम्बर, 2010 तक, राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से 1292.5 किलोमीटर अर्थात् 5.39 किलोमीटर प्रति दिन के औसत से निर्माण पूरा किया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
24.	59.	**भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड** सरकार ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की है। इसका संवितरण मार्च 2010 की समाप्ति तक 9,000 करोड़ रुपए तक और मार्च 2011 तक 20,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने की आशा है। इस कम्पनी को आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाओं को बैंक ऋण से वित्तपोषित करने हेतु भी प्राधिकृत किया गया है। इसने मौजूदा वर्ष के दौरान 3,000 करोड़ रुपए का पुनर्वित्तपोषण किया तथा इस राशि के 2010-11 में दुगुनी से अधिक होने की आशा है। पिछले बजट में घोषित वित्तपोषण प्राप्त करने की योजना से यह आशा है कि प्रारम्भ में, इससे आगामी तीन वर्षों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के वित्तपोषण की व्यवस्था होगी। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड ने 31 मार्च, 2010 की समाप्ति तक ₹1500 करोड़ पुनर्वित्त के माध्यम से संवितरण सहित ₹9976 करोड़ का संचयी संवितरण किया है, जबकि ₹1500 करोड़ का इस्तेमाल संवितरण के लिए किया गया है। इस प्रकार, पुनर्वित्त उपलब्ध कराने हेतु कर-मुक्त बांडों के माध्यम से जुटाए गए ₹10,000 करोड़ में ,से ₹3000 करोड़ का उपयोग किया गया है। कंपनी पुनर्वित्त सहित, मार्च, 2011 तक, लगभग ₹ 20,000 करोड़ के संचयी संवितरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। प्राप्त वित्त का संवितरण आईआईएफसीएल द्वारा 16.4.2010 से आरंभ किया गया है। कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ₹1500 करोड़ राशि के अंतरण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और सरकारी क्षेत्र के 4 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
25.	61.	कोयला भारतीय ऊर्जा क्षेत्र का मुख्य आधार है और वर्तमान में 75 प्रतिशत विद्युत उत्पादन कोयला आधारित है। केप्टिव माइनिंग हेतु कोयला ब्लाकों का आबंटन करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आरम्भ करने का प्रस्ताव है ताकि इन ब्लाकों से उत्पादन में बेहतर पारदर्शिता और वर्धित भागीदारी सुनिश्चित हो। (नोडल विभाग : कोयला विभाग)	खान और खनिज(विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 दिनांक 9.9.2010 को अधिसूचित किया गया है। नियम व दिशा-निर्देश बनाने की कार्रवाई आरंभ की गई है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
26.	62.	कोयला क्षेत्र में एक समान व्यवस्था के निर्माण हेतु "कोयला विनियामक प्राधिकरण" की स्थापना करने के लिए, सरकार कदम उठाना चाहती है। इससे कोयले के किफायती मूल्य निर्धारण और निष्पादन	कोयला विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप सहित मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी का प्रारूप विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों को उनके विचार जानने हेतु परिचालित किए गए हैं । प्राप्त विचारों और सुझावों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोन प्राप्त

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		मानक की बेंचमार्किंग जैसे मुद्दों का समाधान करने में आसानी होगी। (नोडल विभाग : कोयला विभाग)	करने से पूर्व, विधेयक के प्रारूप में समाविष्ट करने के लिए उनकी जांच की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***
27.	64.	जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र की जलवायु अधिक प्रतिकूल है और यह क्षेत्र ऊर्जा कमी से ग्रस्त है। इस समस्या के समाधान हेतु, लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से सौर, लघु जल, एवं माइक्रो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने ₹473 करोड़ की कुल लागत पर "लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम" के संबंध में एक परियोजना अनुमोदित की है। इसे जून 2010 से आरंभ करके साढ़े तीन वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। कार्यान्वयन 1.6.2010 से आरंभ हो चुका है। ***कार्रवाई पूर्ण***
28.	67.	**बहिःस्राव शोधन संयत्र, तिरूपुर** तिरुपुर, तमिलनाडु में स्थित टेक्सटाइल निटवियर क्लस्टर देश के हॉजरी निर्यात में मुख्य योगदानकर्ता है। मैं तमिलनाडु सरकार को तिरुपुर में इस उद्योग को बनाए रखने हेतु जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली के स्थापन की लागत हेतु एकबारगी 200 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। यह उद्योग, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। (नोडल मंत्रालय : कपड़ा मंत्रालय)	₹100 करोड़ की प्रथम किस्त, तमिलनाडु सरकार को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में अंतरित की जा चुकी है। शेष ₹100 करोड़ की द्वितीय किस्त को वर्तमान वित्त वर्ष में ही जारी किए जाने की संभावना है। ***कार्रवाई पूर्ण***
29.	68.	**गोवा के लिए विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज** मैं गोवा के लिए विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज के बतौर 200 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। यह राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को इसके बीचों, जिनके कटाव की संभावना है, का पुनरूद्धार कर और सतत वानिकी के जरिए इसका हरित क्षेत्र बढ़ाकर प्राकृतिक संसाधनों को परिरक्षित करेगा। (नोडल विभाग : व्यय विभाग)	विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज के तौर पर गोवा की 2010-11 की वार्षिक योजना में एकबारगी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में गोवा को ₹ 200 करोड़ की राशि आबंटित की गई है। योजना आयोग की सिफारिश पर, ₹ 70 करोड़ की राशि 19.1.2011 को जारी की गई है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
30.	70.	मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नाडिया जिले के कुछ भागों में भागीरथी नदी और गंगा-पद्मा नदी के तटबंध संरक्षण निर्माण कार्य योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल की गयी हैं। मैं पश्चिम बंगाल के पूर्व और पश्चिम मिदनापुर जिले में कालियाघई-कपलेश्वरी बघई थाला की जलनिकासी योजना तथा मुर्शिदाबाद, में कांदी उप-	भागीरथी और गंगा नदियों के तटों सहित 'तटबंध संरक्षण निर्माण कार्य' के लिए चार में से दो योजनाएं और कालियाघई-कपलेश्वरी बघई थाला की एक जल निकासी योजना बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) संबंधी सशक्त समिति द्वारा ₹ 377 करोड़ की कुल लागत पर अनुमोदित की गई है और इसे बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कांडी उप-मंडल के मास्टर प्लान की एक अन्य योजना को पश्चिम बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की राज्य तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृति दी गई है

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		मंडल की मास्टर प्लान हेतु बजटीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय : जल संसाधन मंत्रालय)	और इस पर आगे की अनिवार्य स्वीकृतियां अभी मिलनी हैं। सभी अनिवार्य स्वीकृतियों के प्राप्त होने के बाद, इसे बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सशक्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा । ***कार्य प्रगति पर***
31.	71.	पश्चिम बंगाल में वैकल्पिक पत्तन सुविधा के विकास की आवश्यकता को देखते हुए सागर द्वीप में एक परियोजना तैयार करने का प्रस्ताव है। उचित समय पर आवश्यक निधियाँ प्रदान की जाएंगी। (नोडल विभाग : पोत परिवहन विभाग)	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने राइट्स को इस परियोजना के विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता नामित किया है। विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह विशेष प्रयोजन साधन/सरकारी निजी भागीदारी पद्धति से प्रस्तावित 4.5 कि0मी0 रेल व सड़क पुल सहित एक व्यापक अध्ययन होगा । राइट्स ने अब यह अध्ययन शुरू कर दिया है। ***कार्य प्रगति पर***
32.	72.	**समावेशी विकास** सं.प्र.ग. सरकार के लिए समावेशी विकास विश्वास का एक कार्य है। विगत पाँच वर्षों में, हमारी सरकार ने व्यक्ति के सूचना के अधिकार और अपने कार्य के अधिकार के लिए विधिक गारंटियों द्वारा समर्थित हकदारियों का सृजन किया है। इसके पश्चात् वर्ष 2009-10 में शिक्षा के अधिकार का अधिनियम बना। अगले कदम के रूप में, अब हम खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप के साथ तैयार हैं जिसे जल्द ही आम जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इन वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र पर होने वाला व्यय क्रमिक रूप से बढ़ाकर 1,37,674 करोड़ रुपए किया गया है। यह 2010-11 में कुल आयोजना परिव्यय का 37 प्रतिशत है। आयोजना आवंटनों का अन्य 25 प्रतिशत ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु रखा गया है। इससे होने वाले विकास और उत्पन्न अवसरों से हमें आशा है कि समावेशी विकास की प्रक्रिया और मजबूत होगी। (नोडल विभाग : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)	सशक्त मंत्री-दल के निर्णय के अनुसार, प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में चर्चा की गई थी । परिषद ने इस विधेयक के बुनियादी ढांचे के ब्यौरे को अंतिम रूप दे दिया है। इस परिषद ने खाद्यान्नों की उपलब्धता के मद्देनजर इसके चरणबद्ध कार्यान्वयन की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इन सिफारिशों की जांच की जा रही है। इस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनके विचारार्थ और उत्तर के लिए भेजा गया है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का प्रारूप भी तैयार कर रही है। ***कार्य प्रगति पर***
33.	74.	**स्वास्थ्य** सभी जिलों की जिला स्वास्थ्य रूपरेखा तैयार करने हेतु एक वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010-11 में किया जाएगा। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों-विशेषकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अत्यधिक फायदा होना चाहिए। इस मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाओं की सुपुर्दगी में होने वाले अंतरालों को सफलतापूर्वक दूर किया है। (नोडल विभाग : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएसएच) महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के पर्यवेक्षण में 8 पूर्ववर्ती सशक्त कार्रवाई समूह राज्यों और असम के 284 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। सर्वेक्षण के लिए फील्डवर्क सभी 9 राज्यों में जारी है। फील्ड वर्क सर्वेक्षण 248 जिलों में पूरा हो चुका है और 36 जिलों में चल रहा है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
34.	76.	**वित्तीय समावेशन** बैंकिंग सेवाओं के फायदे. *आम आदमी.* को पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ और परामर्श करके 2000 से अधिक की जनसंख्या वाली बस्तियों में मार्च 2012 तक समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। लक्षित लाभ-भोगियों को बीमा और अन्य सेवाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। ये सेवाएं समुचित प्रौद्योगिक की सहायता से कारोबार सम्पर्की और अन्य मॉडलों का प्रयोग कर के प्रदान की जाएंगी। इस व्यवस्था से, 60,000 बस्तियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	बैंकों ने वित्तीय समावेशन के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है और बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 2000 से अधिक की आबादी वाली 73,000 (लगभग) बस्तियों को चिह्नित किया है। इससे लगभग 5 करोड़ ग्रामीण आबादी के लाभान्वित होने का अनुमान है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि बैंक पर्याप्त संख्या में कारोबारी संपर्कियों की नियुक्ति करें और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें । बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्रामीण शाखाओं के प्रबंधकों को इस अभियान को प्राथमिकता आधार पर चलाने के लिए सुग्राही बनाएं । 31.3.2011 तक 20,000 ग्रामों के लाभान्वित होने की आशा है। प्रगति पर नजर रखी जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***
35.	77.	**वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि** वर्ष 2007-08 में, सरकार ने बैंकिंग सेवा-रहित क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक वित्तीय समावेशन निधि और एक वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना की थी। वित्तीय समावेशन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, मैं इनमें से प्रत्येक निधि के लिए 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करता हूँ। ये भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा दी जाएंगी। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	निधि के अधीन संवितरणों की प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***
36.	83.	वर्ष 2009-10 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने 10 लाख रुपए तक के आवास ऋणों, जिसमें मकान की लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो, पर एक प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता देने की योजना घोषणा की थी। मैं इस योजना को 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। तदनुसार, वर्ष 2010-11 में इस योजना के लिए मैं 700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	₹10 लाख तक के आवास ऋण पर 1 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता देने की योजना का विस्तार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में कार्यरत ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह योजना कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं । ***कार्रवाई पूर्ण***
37.	84.	विगत वर्ष मलिन बस्तियों के निवासियों और शहरी गरीबों के लिए *राजीव आवास योजना* की घोषणा उन राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी	प्रस्तावित योजना के मापदण्ड तैयार किए गए हैं और उन पर, योजना आयोग की टिप्पणियों सहित, व्यय वित्त समिति द्वारा विचार किया गया है। मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी का प्रारूप

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		जो मलिन बस्तियों के निवासियों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं। अब यह योजना चलाए जाने के लिए तैयार है। मैं वर्ष 2010-11 के लिए, विगत वर्ष के 150 करोड़ रुपए की तुलना में 1,270 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार, इसमें 700 प्रतिशत की वृद्धि होती है। राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन में सरकार का प्रयास राज्यों को प्रोत्साहित करना होगा जिससे भारत को शीघ्रातिशीघ्र स्लम-मुक्त बनाया जा सके। (नोडल मंत्रालय : आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	अंतःमंत्रालयी परामर्श हेतु परिचालित किया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
38.	85.	**सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम** देश के स.घ.उ. में सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान 8 प्रतिशत, विनिर्मित उत्पाद का 45 प्रतिशत और हमारे निर्यात का 40 प्रतिशत होता है। इनसे 2.6 करोड़ उद्यमों के जरिए लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री ने ऐसे कई मुद्दों, जो इस क्षेत्र के विकास को प्रभावित करते हैं, को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल ने सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परिचर्चा की और कार्यसूची तैयार की। सूक्ष्म और लघु उद्यम संबंधी एक उच्च स्तरीय परिषद सिफारिशों और कार्यसूची के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेगी। वर्ष 2010-11 में इस क्षेत्र के लिए, मैं 1,794 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 2,400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय)	माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संबंधी परिषद की स्थापना 7.4.2010 को की गई है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संबंधी टास्कफोर्स की सिफारिशों का समयबद्ध/त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 30.3.2010 को एक संचालन दल गठित किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
39.	87.	**सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था** स्व-सहायता समूहों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्म वित्तीय व्यवस्था के रूप में उभरा है। इसे वर्ष 2005-06 में 200 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ .सूक्ष्म-वित्तपोषण विकास और इक्विटी निधि. के रूप में पुनः नामित किया गया था। वर्ष 2010-11 में इस निधि की आधारभूत निधि को दुगुना कर 400 करोड़ रुपए किया जा रहा है। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	निधि के अधीन संवितरणों की प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***
40.	88.	**असंगठित क्षेत्र** *असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि* असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकताओं को देखते हुए, और	• असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि के गठन और संचालन हेतु मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी तैयार की जा रही है। रिक्शा चालकों आदि, ताड़ी बनाने वालों और बीड़ी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक आवंटन के साथ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह निधि जुलाहों, ताड़ी बनाने वालों, रिक्शा चालकों, बीड़ी निर्माण में लगे कामगारों आदि हेतु बनायी गयी योजनाओं को सहायता प्रदान करेगी। (नोडल मंत्रालय : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय)	करने तथा असंगठित श्रमिकों को पेंशन/भविष्य निधि हेतु योजनाओं का सुझाव देने के लिए तीन कृतिक बलों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अब रेहड़ी पर सामान बेचने वालों के लिए भी लागू की गई है। • पेंशन निधि विनायमक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से, 60 वर्ष से ऊपर के हथकरघा बुनकरों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से ₹100 करोड़ के अनुदान हेतु वित्तीय अनुमोदन प्रतीक्षित है। ***कार्य प्रगति पर***
41.	89.	सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 1 अक्तूबर, 2007 को *राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना* शुरू की थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से लागू हुई और इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए, ऐसे सभी महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 15 से अधिक दिन तक कार्य किया है, को इसके फायदे प्रदान करने का प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतु मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी का प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनके विचार जानने के लिए परिचालित किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सोसाइटी की स्थापना करने के मुद्दे पर मंत्रालयों/विभागों के भिन्न-भिन्न विचारों को देखते हुए, यह मामला सचिवों की समिति को भेजा गया था। सचिवों की समिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थियों तक पहुंचाने से संबंधित प्रस्ताव पर सहमत थी । तथापि, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सोसाइटी के मुद्दे पर इस बात पर सहमति थी कि सोसाइटी के स्थान पर, मंत्रालय के भीतर ही एक उपयुक्त ढांचा बनाया जाए जिसे एनएसीओ (नाको) की तर्ज पर अधिकारों के उचित शक्ति-प्रत्यायोजन किया जाए । मंत्रिमंडल के विचारार्थ टिप्पणी का प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनके विचार जानने हेतु परिचालित किया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
42.	90.	असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवा निवृत्ति के लिए स्वेच्छापूर्वक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने और नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अभिदाताओं के लिए इस योजना की प्रचालन लागत कम करने के लिए, सरकार वर्ष 2010-11 में खोले गए प्रत्येक एनपीएस खाते में 1,000 रुपए प्रति वर्ष का अंशदान देगी। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान एनपीएस में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए इस योजना *"स्वावलम्बन"* में 1,000 रुपए के न्यूनतम अंशदान और12000 रुपए प्रति वर्ष का अधिकतम अंशदान उपलब्ध होगा। यह योजना अन्य तीन वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। तद्नुसार, वर्ष 2010-11 के लिए, मैं 100 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहा हूँ। इससे असंगठित क्षेत्र के 10 लाख एनपीएस अभिदाताओं को फायदा पहुंचेगा। इस योजना का प्रबंधन अंतिरम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	*स्वावलम्बन* योजना 26.09.2010 को आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य *स्वावलम्बन* कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए, नई पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं को सह-अंशदान के रूप में चार वर्षों की अवधि के दौरान अर्थात् 2013-14 तक ₹1000 करोड़ की वित्तपोषण सहायता उपलब्ध कराना तथा नामांकन और अंशदान संग्रहण हेतु संवर्धन और विकासात्मक क्रियाकलापों हेतु व्यय करने और/अथवा पीएफआरडीए को लगभग ₹100 करोड़ की निधियन सहायता उपलब्ध कराना है। 2010-11 के दौरान ₹110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 07.01.2011 तक, इस योजना के तहत, 14,369 अभिदाताओं को पंजीकृत किया गया है। ***कार्यक्रम जारी***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
43.	92.	**दक्षता विकास** प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद् ने दक्षता विकास संबंधी कार्यनीतियों के संचालन के लिए मुख्य विनियामक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इस परिषद का मिशन वर्ष 2022 तक 50 करोड़ कुशल व्यक्ति तैयार करने का है। इनमें से राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम का लक्ष्य 15 करोड़ है, जिसने अक्तूबर, 2009 से अपना कार्य आरंभ किया है। इसने उच्च विकास वाले 21 क्षेत्रों का एक व्यापक दक्षता अंतराल अध्ययन पूरा किया है और एक लाख प्रति वर्ष की दर से 10 लाख कुशल जनशक्ति उत्पन्न करने के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत वाली तीन परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। अन्य परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों पर विचार किया जा रहा है। (नोडल विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम (एनएसडीसी) ने अब तक 22 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। इसके परिणामस्वरूप, 10 वर्ष की अवधि के दौरान 38.59 मिलियन कुशल श्रमिक तैयार हो सकेंगे। 22 परियोजनाओं के लिए इक्विटी/ऋण/अनुदान के रूप में एनएसडीसी का अंशदान ₹607.56 करोड़ है। इन 22 परियोजनाओं में से, 2009-10 के दौरान एनएसडीसी से ₹35.68 करोड़ के कुल अंशदान से 2 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था जिन्हें 10 वर्ष के दौरान 1.018 मिलियन कुशल श्रमिक तैयार करने का अधिदेश दिया गया था और शेष को 2010-11 के दौरान अनुमोदित किया गया है। ***प्रक्रिया जारी***
44.	93.	कपड़ा मंत्रालय की मौजूदा संस्थाओं और उपकरणों की क्षमता बढ़ाकर कपड़ा और परिधान क्षेत्र में व्यापक दक्षता विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र के संसाधनों का भी दोहन परिव्यय आधारित दृष्टिकोण के जरिए प्रशिक्षण को प्रोत्साहित कर किया जाएगा। इन उपकरणों के जरिए, कपड़ा मंत्रालय ने 5 वर्ष के दौरान 30 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। (नोडल मंत्रालय : कपड़ा मंत्रालय)	वस्त्र उद्योग क्षेत्र के लिए व्यापक दक्षता विकास योजना अब शुरू की जा चुकी है। ***कार्रवाई पूर्ण***
45.	94.	**समाज कल्याण** मैं महिला और बाल विकास के लिए आयोजना परिव्यय में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करता हूँ। 2009-10 में शुरू की गयी कई नयी पहल, अब कार्यान्वयन के लिए तैयार है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिशन तैयार किया जा रहा है। किशोरियों के लिए राजीव गाँधी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आईसीडीएस के दायरे का विस्तार किया जा रहा है। (नोडल मंत्रालय : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना हो चुकी है और इसने 8.3.2010 से काम करना शुरू कर दिया है। तत्पश्चात, दो राज्यों के मुख्यमंत्री और पांच सिविल सोसाइटी के सदस्यों को नामांकित किया गया है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने आईसीडीएस प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए 200 चुनिंदा जिलों में कार्यान्वयन के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना अनुमोदित की है। ***कार्रवाई पूर्ण***
46.	96.	महिला कृषकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक *महिला किसान सशक्तिकरण*	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इन्हें राज्यों

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		परियोजना आरंभ की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपसंघटक के रूप में इस परियोजना के लिए, मैंने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। (नोडल विभाग : ग्रामीण विकास विभाग)	को उनके यहाँ कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
47.	97.	माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का आयोजना परिव्यय बढ़ाकर 4500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूँ। यह राशि, 2009-10 की तुलना में, 80 प्रतिशत अधिक होगी। अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और एल्कोहल के और नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ितों को शामिल करते हुए, यह लक्षित जनसंख्या वर्गों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की सहायता करेगी। इस बढ़ोतरी के साथ मंत्रालय, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन कर सकेगा। यह बहुत समय से लम्बित रहा है। (नोडल मंत्रालय : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से संशोधित कर दिया गया है और राज्यों को सूचित कर दिया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों(ओबीसी) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के लिए, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ टिपण्णी के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
48.	98.	इस आवंटन से बधिरों के फायदे के निमित भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान केद्र स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी। दो संयुक्त क्षेत्रीय निःशक्त व्यक्ति केद्रों के साथ-साथ, जिला विकलांगता पुनर्वास केद्रों की स्थापना, 50 अतिरिक्त जिलों में की जा रही है। (नोडल मंत्रालय : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)	• भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केद्र की स्थापना के संबंध में स्थायी वित्त समिति के विचारार्थ टिप्पणी को सभी संबंधित पक्षों में परिचालित किया गया है। • वर्तमान वर्ष के दौरान 50 नए जिला विकलांगता पुनर्वास केद्रों (डीडीआरसी) की स्थापना के लिए, 15 डीडीआरसी को अनुमोदित कर दिया गया है। बाकी की प्रक्रिया चल रही है। • कोझिकोड (केरल) और अहमदाबाद (गुजरात) में विकलांग व्यक्तियों के लिए दो संयुक्त क्षेत्रीय केद्रों (सीआरसी) की स्थापना के लिए, स्थायी वित्त समिति हेतु ज्ञापन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
49.	99.	मैं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए भी वर्ष 2010-11 के आयोजना आवंटन को, 1,740 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि है। माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए, मुझे खुशी हो रही है कि हम, मौजूदा वर्ष में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए 15 प्रतिशत उधार देने का लक्ष्य हासिल करने के निकट हैं। इसे आगामी तीन वर्षों के लिए कायम रखा जाएगा। (नोडल विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
50.	101.	**वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग** वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने वाले हमारे अधिकांश विधान बहुत पुराने हैं। विभिन्न समय पर इन अधिनियमों में बड़ी संख्या में किए गए संशोधनों ने भी अस्पष्टता और जटिलता बढ़ाई है। सरकार इस सेक्टर को अपेक्षाओं की तर्ज पर लाने के लिए वित्तीय सेक्टर के कानूनों को दोबारा लिखने तथा स्पष्ट करने के लिए वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव करती है। (नोडल विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	कारपोरेट कार्य मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए को उनके फीड बैक हेतु एक अवधारणा दस्तावेज परिचालित किया गया है। प्राप्त हुए फीडबैक के आधार पर, विचारणीय विषयों का प्रारूप तैयार किया गया है। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग को गठित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
51.	102.	**प्रशासनिक सुधार आयोग** प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन, यूपीए सरकार द्वारा अपने पहले कार्यकाल में किया गया था। इसने 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनमें से, 10 रिपोर्टों की जांच सरकार द्वारा की गई है। अब तक कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात 800 सिफारिशों में से, 350 सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जा चुका है तथा 450 कार्यान्वित की जा रही हैं। (नोडल विभाग : प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)	प्रशासनिक सुधार संबंधी कोर-समूह ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत सभी 15 रिपोर्टों पर विचार किया है। मंत्रियों के समूह ने इनमें से, 12 रिपोर्टों पर विचार किया है। इन रिपोर्टों पर मंत्रियों के समूह के निर्णय कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। बारह रिपोर्टों में वर्णित कुल 1215 सिफारिशों में से, 978 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, 172 सिफारिशें मानी नहीं गयी हैं, 5 सिफारिशों को आस्थगित रखा गया है और 18 सिफारिशें अन्य संगठनों को भेजी गई हैं। 978 सिफारिशों में से, 430 पर कार्रवाई कर ली गई है और शेष 548 सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कार्रवाई चल रही है। रिपोर्ट सं0 8 (आतंकवाद का मुकाबला करना) से संबंधित 23 सिफारिशों पर कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
52.	103.	**भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण** मैंने, अपने पिछले बजट भाषण में, भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण का गठन करने, इसके व्यापक कार्यकरण सिद्धांतों और पहली अनन्य पहचान संख्याओं के प्रदाय समय-सीमा की घोषणा की थी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि यह प्राधिकरण गठित कर लिया गया है। यह आगामी वर्ष में अनन्य पहचान संख्याओं का पहला सैट जारी करने की अपनी वचनबद्धताएं पूरी करने में समर्थ होगा। यह वित्तीय समावेशन और लक्षित सब्सिडी भुगतानों के लिए प्रभावी मंच प्रदान करेगा। चूंकि भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण अब प्रचालनात्मक चरण में प्रवेश कर जाएगा, मैं 2010-11 के लिए इस प्राधिकरण को 1,900 करोड़ रुपए आवंटित करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/ विभाग : योजना आयोग)	भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक डाटा सेंटर की स्थापना करने, आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अधिप्राप्त करने, अनुप्रयोग और सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी की तथा बायोमेट्रिक समाधान प्रदाताओं की नियुक्ति करने आदि जैसी आवश्यक प्रौद्योगिकीय आधारभूत संरचना का निर्माण किया है। आधार अक्षरों के मुद्रण और उन्हें सुपुर्द करने की संभार-तंत्र सहायता मुहैया कराने; शिकायतों के निवारण के लिए इकोसिस्टम में निवासियों और अन्यों के लिए एक हेल्पलाइन संपर्क केंद्र की स्थापना करने; प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके सहायक आधारभूत संरचना का भी निर्माण किया गया है। पंजीकरण अभिकरणों के माध्यम से 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों-आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, दिल्ली, महाराष्ट्र और पं0 बंगाल में 12 रजिस्ट्रारों द्वारा नामांकन किए जा रहे हैं। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
53.	104.	**अनन्य परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह** प्रभावी कर प्रशासन और वित्तीय अभिशासन प्रणाली के लिए ऐसी आईटी परियोजनाओं के सृजन की आवश्यकता है, जो विश्वसनीय, सुरक्षित और सक्षम हों। आईटी परियोजनाएं जैसे कर सूचना नेटवर्क, नई पेंशन योजना, राष्ट्रीय राजकोष प्रबंधन एजेंसी, व्यय सूचना नेटवर्क, वस्तु एवं सेवा कर विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। विभिन्न प्रौद्योगिकीय और प्रणाली विषयक मामलों की जांच करने के लिए, मैं श्री नंदन निलेकानी की अध्यक्षता में एक अनन्य परियोजना प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	प्रौद्योगिकी अनन्य परियोजना सलाहकार समूह गठित कर दिया है और विचारार्थ विषय जारी कर दिए गए हैं। परियोजनाओं अर्थात कर सूचना नेटवर्क, नई पेंशन योजना, राष्ट्रीय राजकोष प्रबंधन एजेंसी, व्यय सूचना नेटवर्क, वस्तु एवं सेवाकर के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों का पता लगाने और उन पर उपयुक्त सिफारिशें करने का कार्य इस समूह को सौंपा गया है। इन विषयों में मानव संसाधन, विधिक, विनियामक और सुरक्षा मुद्दों, तकनीकी डिजाइन एवं वास्तु कला, सांविदात्मक शर्तें, मानीटरिंग प्रणाली, विवाद निस्तारण प्रणाली आदि शामिल हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
54.	105.	**स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय** सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का निष्पक्ष और विषयपरक मूल्यांकन करने के लिए और सरकारी कार्यक्रमों की कारगरता बढ़ाने हेतु एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। यह निर्णय लिया गया है कि यह उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में अभिशासी बोर्ड के अधीन एक स्वतंत्र निकाय होगा। यह स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय अग्रगामी फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा और अपने निष्कर्षों को लोक क्षेत्र में रखेगा। इसके लिए निधियां योजना आयोग द्वारा दी जाएंगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : योजना आयोग)	स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) की स्थापना हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की भौतिक स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
55.	106.	**भारतीय रुपए के लिए प्रतीक** आगामी वर्ष में, हम भारतीय रुपए के लिए एक प्रतीक को औपचारिक रूप देना चाहते हैं जो भारतीय लोकाचारों और संस्कृति को प्रतिबिम्बित और समाहित करे। इसके साथ भारतीय रुपया भी अमरीकी डालर, ब्रिटिश पौण्ड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन, जैसे चुनिंदा मुद्रा क्लब में सम्मिलित हो जाएगा। इन देशों की स्पष्ट विशिष्ट पहचान है। (नोडल विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय रुपए का प्रतीक अनुमोदित कर दिया है। सूचना के आदान-प्रदान हेतु भारतीय लिपि संहिता में इस प्रतीक को शामिल करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
56.	109.	वर्ष 2009 में, जम्मू-कश्मीर में हिंसा में कमी आयी। हमने अनेक विश्वास निर्माण संबंधी उपाय किए हैं। एक और ऐसे उपाय के रूप में, सरकार वर्ष 2010 में, पांच केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों में लगभग 2,000	वर्ष 2010 के दौरान, विभिन्न केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में जम्मू-कश्मीर राज्य से 2309 जवानों की भर्ती की जा चुकी है। रिक्तियों की संख्या भी 2042 से बढ़ाकर 2062 कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		युवाओं को कांस्टेबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है। (नोडल मंत्रालय : गृह मंत्रालय)	
57.	110.	तैंतीस लेफ्ट विंग अतिवाद प्रभावित जिलों की विकास संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए, विकास और सुरक्षा उपायों के बीच समन्वित प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य बल गठित किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि योजना आयोग प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्य योजना तैयार करेगा। इस कार्य योजना की सहायता करने के लिए पर्याप्त निधियां मुहैया करायी जाएंगी। मैं, गुमराह हुए लोगों से हिंसा छोड़ने और विकास प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : योजना आयोग)	वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 25 करोड़ और ₹ 30 करोड़ प्रति जिला के एकमुश्त अनुदान से 60 जन-जातीय और पिछडे जिलों के लिए एकीकृत कार्ययोजना अनुमोदित की गई है। इसके लिए, निधियां जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति के नियंत्रण में रखी जाएंगी। इस समिति के सदस्य जिला पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी होंगे। इस योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है और वर्ष 2010-11 के लिए अब ₹ 25 करोड़ प्रति जिला के हिसाब से आंबटन जारी कर दिया गया है। इस एकीकृत कार्य योजना की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में राज्य सरकारों /जिला कलेक्टरों के साथ बैठकें/वीडियों कांफ्रेंस आयोजित किए जा रहे हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
58.	111.	**राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधिक सुधार मिशन** सभी को समय पर न्याय दिलाने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधिक सुधार मिशन की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य न्यायालयों में वर्तमान में 15 वर्ष के औसत से लंबित विधिक मामले 2012 तक 3 वर्ष में कम करके सहायता करना है। यह व्यापार के लिए विधिक माहौल सुधारने में भी सहायता करेगा। तेरहवें वित्त आयोग ने न्याय प्रदाय सुधारने के लिए राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, जिसमें वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रम का सुदृढ़ीकरण भी शामिल है। (नोडल विभाग : न्याय विभाग)	राष्ट्रीय न्याय प्रदाय और विधिक सुधार मिशन और विशेष प्रयोजन साधन की स्थापना करने हेतु मंत्रिमंडल टिप्पणी के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्याय प्रदाय प्रणाली में सुधार के संबंध में, राज्यों को ₹ 1000 करोड़ की राशि पहले ही जारी कर दी गई है। अनुदानों की पहली किस्त के दूसरे अंश को जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य मुकदमेबाजी नीति, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और प्रत्येक वित्त वर्ष की कार्य योजना संबंधी प्रास्थिति आदि शीघ्र उपलब्ध करा दें ताकि द्वितीय किस्त को जारी करने में सहुलियत हो। "विधिक सहायता", "न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण", और "राज्य न्यायिक अकादमी के सुद्ढ़ीकरण" हेतु प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ***कार्य प्रगति पर***
59.	119.	हमने, प्रत्यक्ष करों के प्रशासन में सेवा प्रदाय के प्रमुख क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण के मार्ग पर चलना जारी रखा है। यह करदाता और कर प्रशासन के बीच वास्तविक अन्तरामुख कम करेगा और कार्यप्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अपेक्षित परिवर्तन करने में तेजी लाएगा। बेंगलूरू में केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र अब पूरी तरह कार्यशील है और यह प्रतिदिन लगभग 20,000 विवरणियों पर कार्रवाई कर रहा है। इस अभिक्रम को वर्ष के दौरान और दो केंद्रों की स्थापना करके आगे बढ़ाया जाएगा। (नोडल विभाग : राजस्व विभाग)	पुणे और मानेसर में दो और केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना करने हेतु, परियोजना आर्किटेक्ट की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। स्थान के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। प्रमुख एस.आई. वेंडर बोलियों के मूल्यांकन हेतु, तकनीकी मूल्यांकन समिति गठित की गई है। प्रमुख एस.आई. वेंडर हेतु आरएफपी की तैयारी का कार्य चल रहा है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
60.	120.	नागरिक केंद्रित अभिशासन की ओर अग्रसर होने के लिए सरकार के कार्यक्रम के भाग के रूप में आय कर विभाग ने पुणे, कोची और चंडीगढ़ में आय कर सेवा केंद्रों के माध्यम से "सेवोत्तम" की शुरूआत की है। यह सभी आवेदनों के पंजीकरण के लिए एकल विन्डो प्रणाली प्रदान करते हैं, जिसमें शिकायत निवारण तथा कागजी विवरणियां भी शामिल हैं। इस वर्ष यह योजना चार और शहरों में कार्यान्वित की जाएगी। (नोडल विभाग : राजस्व विभाग)	हुगली स्थित आयकर सेवा केंद्र (एएसके) ने अब कार्य करना शुरू कर दिया है। गांधी नगर, उदयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मोहाली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, इंदौर, कोयम्बटूर और रांची में स्थित आयकर सेवा केंद्र 31.3.2011 तक काम करना शुरू कर देंगे। ***कार्य प्रगति पर***
61.	122.	मैंने पिछले वर्ष उल्लेख किया था कि आयकर विवरणी प्रपत्र सरल और प्रयोक्ता अनुकूल होने चाहिए। आयकर विभाग आगामी निर्धारण वर्ष के लिए व्यष्टि वेतनभोगी करदाताओं के लिए सरल-II प्रपत्र अधिसूचित करने के लिए अब तैयार है। इस प्रपत्र से व्यष्टि एक सरल प्रपत्र में केवल दो पृष्ठों में संगत ब्यौरा भर पाएंगे। (नोडल विभाग : राजस्व विभाग)	सरल-II (आईटीआर-I) को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 तारीख 23.4.2010 के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। यह अधिसूचना मूल्यांकन वर्ष 2010-11 के लिए उपलब्ध है। ***कार्रवाई पूर्ण***
62.	123.	करदाताओं के साथ विवादों के शीघ्र निपटान के लिए मैं उन मामलों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं जिन्हें समझौता आयोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है ताकि निर्धारण के लिए लम्बित तलाशी और जब्ती के मामलों से संबंधित कार्यवाहियां शामिल की जा सकें। मैं केंद्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा शुल्क के संबंध में समझौता आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि उसके क्षेत्राधिकार की परिधि के बाहर के कतिपय प्रकार के मामले स्वीकार किए जा सकें। (नोडल विभाग : राजस्व विभाग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 क और धारा 245 ग के संशोधित उपबंध 1 जून, 2010 से प्रभावी हो गए हैं ताकि निर्धारण के लिए तलाशी और जब्ती के मामलों से संबंधित कार्यवाईयां शामिल की जा सके। समझौता आयोग की 2007 से पहले की प्रास्थिति बहाल करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम,1944 और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के संशोधित उपबंध 8 मई, 2010 से प्रभावी हो गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
63.	124.	पिछले वर्ष कानून में किए गए संशोधनों से सरकार सार्वभौम राष्ट्रों के अलावा विशिष्ट राज्य क्षेत्रों के साथ कर संधियां करने में समर्थ हुई। हमने बैंक से संबंधित और अन्य सूचना का आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू की है ताकि विदेश में रहने वाले अनिवासियों की करवंचना का कारगर तरीके से पता लगाया जा सके और अप्रकटित आस्तियों की पहचान की जा सके। (नोडल विभाग : राजस्व विभाग)	**कर सूचना आदान-प्रदान करार (टीआईईए):** 10 देशों / उनके अधिकार क्षेत्रों के साथ वार्ताएं पूरी की जा चुकी है। (बाहमास, बरमुडा, ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड, आइल ऑफ मैन, मोनाको, जर्सी, केमेन आइलैंड, सेंट किट्स एंड नेविस, अर्जेंटीना और मार्शल आइलैंड)। 5 मामलों में मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और 3 मामले मंत्रिमंडल के विचाराधीन हैं। बरमुडा के साथ कर सूचना आदान-प्रदान करार लागू हो गया है। **दोहरा कराधान परिवर्जन करार (डीटीएए):** मौजूदा दोहरे कराधान परिवर्जन करारों में सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुच्छेद को संशोधित करने के बारे में 10 देशों के साथ वार्ताएं पूरी की जा चुकी हैं। इससे यह अनुच्छेद नए अंतरराष्ट्रीय

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			मानको के अनुरूप हो जाएगा। स्विजरलैंड के साथ करार पहले ही हस्ताक्षरित किया जा चुका है। सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुच्छेद पर 13 नए दोहरे कराधान परिवर्जन करारों में नए अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप सहमति हो गई है। ***प्रक्रिया जारी***
64.	66.	**राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)** देश में कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तरों तक पहुंच गया है। जहां एक ओर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि "प्रदूषक के कीमत चुकाने" का सिद्धांत प्रदूषण प्रबन्धन का मूल दिशानिर्देश मानदण्ड बना रहे, वहीं हमें स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर सकारात्मक जोर भी देना होगा। मैं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान तथा अभिनव परियोजनाओं के निधिपोषण हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं। मैं इसके निधिपोषण की विधि को अपने भाषण के भाग ख में रेखांकित करूंगा। (नोडल विभाग : व्यय विभाग)	*(इस पैरा को पैरा सं0 154 के साथ पढ़ा जाए)*
65.	154.	**पर्यावरण** जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को काम में लेने को, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अब एक विश्वसनीय कार्ययोजना के रूप में मान्यता मिली है। घोषित राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष की निधियों के निर्माण हेतु, मैं भारत में उत्पादित कोयले पर 50 रुपये प्रति टन की सामान्य दर पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। यह उपकर आयातित कोयले पर भी लागू होगा। (नोडल विभाग : राजस्व विभाग, व्यय विभाग,)	*(इस पैरा को पैरा सं0-66 के साथ पढ़ा जाए)* वित्त विधेयक, 2010 के अधिनियमित हो जाने से आवश्यक उपकर 8.5.2010 से उग्रहित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश और तरीके तैयार किए जा रहे हैं। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
66.	182.	सेवाओं का निर्यात, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में प्रचुर रोजगार सृजित करता है और विदेशी मुद्रा लाता है। मैं, सेवाओं के निर्यात की परिभाषा और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करते हुए, सेवाओं के निर्यातको को संचित ऋण की वापसी की प्रक्रिया सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल विभाग : वाणिज्य विभाग)	अधिसूचना सं0-5/2006 तारीख 14.3.2006 में आवश्यक संशोधन परिपत्र संख्या 7/2010 तारीख 27.2.2010 के द्वारा कर दिए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***